2021/240

लक्ष्मादेवी v/s बद्रीनारायण

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से— |
|---|---|---|
| | 24/5/24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उभय प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर दिनांक 13/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |
| | नोटिसवार 1773-78 24/5/24 | |
| | 13/6/24 | पत्रावली पेश हुई। वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं तथा अधिवक्ता वादी व उसके अधिवक्ता ने बार-बार आगे लगवाने के आग्रह के कोई भी उपस्थित नहीं होने उसकी ओर से वादी का वाद अपर्याप्त अपर पैरवी से वादी का वाद अपर्याप्त होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |